(ii) against serial number 8 in Column 7 after the existing entries "Between 18 to 25 years", the following shall be added, namely :—

"The maximum age limit shall be 35 years for departmental candidates".

[No. 0715/AN-H(PC)]
V. N. R. RAO, Asstt. Financial Adviser (C).

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 1978

(आय-कर)

का. आ. 1441.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना सं. 670 (फा. सं. 187/2/74-आई टी (एआई), तारीख 20-7-1974 में निम्नलिखित संशोधन करता है ।

क्रम सं. 11 के सामने स्तम्भ 3 के अन्तर्गत अन्तिम प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

7. सर्वेक्षण सर्किल, कानपुर ।

[सं. 2628 (फा. सं. 187/27/78-आई टी(ए1)]
एम. शास्त्री, अवर सचिव

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 30th December, 1978

(INCOME-TAX)

S.O. 1441.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 679 (F. No 187/2/74-IT(AI) dated 20-7-1974 as amended from time to time.

After the last entry under Column 3 against Sl. No. 11 the following shall be added.

7. Survey Circle, Kanpur.

[No. 2628 (F. No. 187/78-IT(A1)]
M. SHASTRI, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 मई, 1979

का. आ. 1442.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारियों (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में,—

(1) नियम 2, में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(ट) 'संयुक्त निदेशक' से निर्यात निरीक्षण परिषद् का संयुक्त निदेशक अभिप्रेत है ,

(2) नियम 12 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि आरोप के किसी या सभी अनुच्छेदों पर निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 8 के खंड (5) से (9) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति परिषद् के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा तथा परिषद् के कर्मचारी को ऐसे अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।"

[सं. 3(11)76 ई. आई एण्ड ई. पी.]

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLY AND CO-OPERATION

New Delhi, the 5th May, 1979

S.O. 1442.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 viz :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on their publication in the Official Gazette;

2. In Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978,

(1) in rule 2, the following shall be added, namely :—

(l) 'Joint Director' means the Joint Director of the Export Inspection Council ;

(2) for sub-rule (4) of rule 12 the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence aduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of rule 8 should be imposed on the Council employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Council employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed."

[F. No. 3(11)/76-EI&EP]

का. आ. 1443.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अभिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (ट) में, शब्द "परिषद् का" के स्थान पर "परिषद् या अभिकरण का" शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों के नियम 12 के उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(4) यदि आरोप के किसी या सभी अनुच्छेदों पर अपने निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए तथा जांच के दौरान दिए गए साक्ष्यों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 8 के खंड (5) से (9) तक में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से कोई शास्ति अभिकरण के कर्मचारी पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा तथा अभिकरण के कर्मचारी को ऐसे अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा ।"

[सं. 3(11)/76 ई. आई. एण्ड ई. पी.]

सी. बी. कुकरेती, उप निदेशक

S.O. 1443.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following Rules to amend the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 viz :—

1. (1) These Rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into froce on their publication in the Official Gazette.

2. Rules 10 and 9 of the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules 1978 shall be re-aligned as 9 and 10.

3. In sub-rule (k) of Rule 2 of the said Rules, the words "or Agency" shall be added at the end.

4. In sub-rule (1) of Rule 9 of the said Rules, the word "Council" appearing in second line shall be substituted as "Agency".

5. In sub-rule (2) of Rule 9 of the said Rules, the word "Council" appearing in third line shall be substituted as "Agency".

6. For sub-rule (4) of Rule 12 of the said Rules, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(4) If the disciplinary authority having regard to its findings on all or any of the articles of charge and on the basis of the evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in Clauses (v) to (ix) of Rule 8 should be imposed on the Agency employee, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give the Agency employee any opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed".

7. Rule 1 appearing after Rule 15 of the said Rules shall be substituted as 16.

[F. No. 3(11)/76-EIEP]
C. B. KUKRETI, Jt. Director

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1979

का. आ. 1444.—सर्वश्री दि मेटल बाक्स कम्पनी इंडिया लि., इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, 17 पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-110001 को सामान्य मुद्रा क्षेत्र में लाईसेंस के लिए संलग्न सूची के अनुसार कच्चे माल और संघटकों के आयात के लिए 25,700/- रुपये मूल्य का आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2206927/सी/एक्स एक्स/62/एच/43-44/पेपर दिनांक 1-2-77 प्रदान किया गया था ।

2. उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा-शुल्क प्रति किसी भी सीमा-शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराए बिना ही खो गई/अस्थानस्थ हो गई है । लाइसेंसधारी ने आगे यह बताया है कि लाइसेंस का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था ।

3. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है । अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट है कि आयात लाइसेंस सं. पी/डी/2206927 दिनांक 1-2-77 की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है, इसलिए निदेश देता है कि आवेदक को लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति जारी की जाए । मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

4. लाइसेंस की अनुलिपि सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति अलग से जारी की जा रही है ।

[सं. पेपर/50/1/76-77/आर एम-2]
सी. एस. आर्य, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1979

S.O. 1444.—M/s. The Metal Box Company of India Ltd. Allahabad Bank Building, 17 Parliament Street, New Delhi-110001 were granted Import licence No. P/D/2206927/C/XX/62/H/43-44/Paper dated 1-2-77 for import of Raw materials and Components as per list attached to its valuted is Rs. 25,700 from G.C.A.

2. They have requested for issue of duplicate Customs Purposes copy of the above said licence on the ground that the original Customs copy has been lost/misplaced without having been registered with any Customs authority. It has been further reported by the licensee that the licence was not utilised at all.

3. In support of the contention, the applicant have filed an Affidavit. The undersigned is satisfied that the original Customs Purposes copy of Imports licence No. P/D/2206927 dt. 1-2-77 has been lost or misplaced and hence directs that a duplicate Customs Purposes copy of the licence should be issued to the applicant. The original Customs Purposes copy is hereby cancelled.

4. The duplicate Customs Purposes copy of the licence is being issued separately.

[F. No. Paper/50/1/76-77/RM-II]

C. S. ARYA, Dy. Chief Controller of Imports & Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

आदेश

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1979

का. आ. 1445.—सर्वश्री सिम्पसन एण्ड कं लि., मद्रास को ए. के./आई. एम. जी. के अन्तर्गत 15,00,000/- रुपए (केवल पन्द्रह लाख रुपए) का आयात लाइसेंस संख्या-पीडी/2213646, दिनांक 23-3-1978 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा

IndiaCode